

विवरण II

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त
क्षेत्र को अग्रिम 31 मार्च _____ की स्थिति

भाग अ

बैंक का नाम	
-------------	--

(अ) समायोजित बैंक ऋण (एएनबीएसी)	रु. लाख
(आ) (क) कुल तुलनपत्रेतर ऋण (ओबीइ)	रु. लाख
(ख) ओबीइ के समतुल्य ऋण राशि	रु. लाख
(इ) कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का उधार	रु. लाख
(ई) कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार का समायोजित बैंक ऋण (अआइ) या ओबाइ के समतुल्य ऋण राशि के रूप में प्रतिशत जो भी अधिक हो	रु. लाख
(उ) कमजोर वर्ग को कुल प्राथमिकता प्राप्त उधार का समायोजित बैंक ऋण (अआइ) या ओबीइ के समतुल्य ऋण राशि के रूप में प्रतिशत जो भी अधिक हो	रु. लाख

		(वास्तविक खाता तथा राशि लाख रुपये में)							
		कुल खातो की संख्या	कुल बकाया राशि	जिसमें से अनु जाति		जिसमें से अनु जन जाति		जिसमें से अल्पसंख्यक	
				खातों की संख्या	बका या राशि	खातों की संख्या	बका या राशि	खातों की संख्या	बका या राशि
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम									
1	कुल ऋण (क+ख)								
	(क) प्रत्यक्ष								
	(ख) अप्रत्यक्ष								
	कृषि को कुल अग्रिम राशि प्रदान की गयी								
	(i) वैयक्तिक कृषक								
	(ii) सामूहिक, सांझेदारी फर्म तथा संस्था (प्रति उधारकर्ता रु. एक करोड तक की समग्र ऋण सीमा)								
	(iii) सामूहिक, सांझेदारी फर्म तथा संस्था (प्रति उधारकर्ता रु. एक करोड रु. की समग्र ऋण सीमा से अधिक)								
	(iv) उपज गिरवी / दृष्टिबंधक रखने के बदले में कृषक को								
(v) सामूहिक, सांझेदारी फर्म तथा संस्था									

		द्वारा ली गयी अन्न और कृषि आधारित संसाधन इकाई (प्लांट और मशिनरी में रु.10 करोड तक निवेश)								
2		लघु उद्यमी को कुल ऋण (निर्माण तथा सेवा उद्यमों सहित) (क+ख)								
	(क)	प्रत्यक्ष								
	(ख)	अप्रत्यक्ष								
		जिसमे से लघु उद्यमों को अग्रिम राशि प्रदान की गयी								
	(i)	निर्माण उद्यम (क+ख+ग)								
		(क) पी एण्ड एम में रु. 5 लाख तक के निवेश वाले उद्यमी								
		(ख) पी एण्ड एम में रु. 5 लाख से रु. 25 लाख तक के निवेशवाले उद्यमी								
		(ग) पी एण्ड एम में रु.25 लाख से रु. 5 करोड तक के निवेशवाले उद्यमी								
	(ii)	सेवा उद्यमी (क+ख+ग)								
		(क) उपकरणों में रु.2 लाख तक का निवेश वाले उद्यमी								
		(ख) उपकरणों में रु 2 लाख से रु.10 लाख तक का निवेश वाले उद्यमी								
		(ग) उपकरणों में रु. 10 लाख से रु.2 करोड तक के निवेश वाले उद्यमी								
	(iii)	खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिए प्रदान अग्रिम								
3		खुदरा व्यापार								
4		व्यष्टि ऋण								
5		अजा / अजता के लिए राज्य द्वारा प्रयोजित संस्था								
6		शैक्षणिक ऋण								
7		आवास ऋण								
8		कुल कमजोर वर्ग								
		कमजोर वर्ग को कुल अग्रिम में से निम्न लिखित को दिया गया वित्त :								
		महिला								
9		कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम (1 से 7)								